न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील डिक्री/टीए/1711/2004/अजमेर

1– श्री चन्द्रा पुत्र जालमा
2– श्री राम प्रसाद पुत्र चन्द्रा
जाति मीणा निवासी शोकियाखेडा(गोरधा) तहसील केकडी, जिला अजमेर।
–अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी।
– – –रैस्पोडेंट

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री खडग सिंह अभिभाषक, अपीलांटस
श्री वी0पी0सिंह राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट

दिनांक **दिनांक 16–11–2018**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–1–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शोकियाखेडा तहसील केकडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 371/1 रकबा 94 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 371/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से खसरा नंबर 371/1 की 6बीघा व 371/3 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है व राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है । विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काफी पुराना होकर मुखालफाना हो चुका है। अतः वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। दावे व जबावदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वाद में दो तनकीयात कायम करते हुए व दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूत लेकर व उभयपक्ष की बहस सुन कर दावा वादी चलने योग्य नही होना मान कर दिनांक 18–10–2003 को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध अपीलांटस/वादीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर के समक्ष पेश की जिन्होने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–1–2004 को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–03 को यथावत रख गाया। जिसके विरुद्ध हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के वाक्यात को दोहराते हुए बताया कि राजस्व अपील अधिकारी ने अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने कानून के विपरीत यह फाइण्डिंग दी है कि सिवायचक भूमि पर वादीगण/अपीलांटस का कब्जा सिद्ध होता है तो भी धारा 88 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी घोषणा का हक वादीगण नही रखते है, कतई गलत है। उनका यह भी कथन है कि आरआरडी 1991 पेज 1के तहत यदि अपीलांटस का कब्जा 30 वर्षो से लगातार सिवायचक भूमि पर पाया जाये तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होना स्वयं अपील अधिकारी ने भी माना है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय था जिसे बहाल रखने में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानून की मंशा के विपरीत अपना निर्णय व डिक्री पारित की है। चूँकि अपीलांट का खसरा गिरदावरी के तहत विवादित आराजी पर कब्जा सन 1969 से लगातार साबित है। राज्य सरकार ने आदिनांक तक अपीलांटस को विवादित आराजी से बेदखल नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस का कब्जा होस्टाइल कब्जा होने से अपीलांटस को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेंट का कथन है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। जब जब अपीलाटस द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमकण किया है , विवादित भूमि से नियमानुसार बेदखल किया जा चुका है। विवादित आराजी पर खसरा परिवर्तनशील के

अनुसार लगातार कब्जा साबित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को विवादित आराजी पर होस्टाइल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट का वाद कानूनी तौर पर सही खारिज किया है तथा उसकी अपील विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–03 को यथावत रखते हुए प्रथम अपील को खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गयी है।अन्त में अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षकारान की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सिवायचक काबिज काश्त दर्ज है। अपीलांट ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि उनका कब्जा लगातार 30 वर्षो से अधिक समय तक रहा हो। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 18–10–2003 में अपीलांट को विवादित आराजी जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायक दर्ज है पर धारा 88 के प्रावधानों के तहत खातेदारी नही दिये जाने का उल्लेख किया है । आरआरडी 1988 पेज 78 में भी यह स्पष्ट उद्धरित किया है कि सिवायक भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादीगण/अपीलांटस का विवादित आराजी पर जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है लगातार कब्जा काश्त नही रहा है। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपीलांटस/वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में 2 तनकीयात कायम कर व उन पर विस्तृत विवेचन कर वाद वादी खारिज किया गया है ,जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होने भी अपने विस्तृत निर्णय पारित कर दिनांक 21–1–04 को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2003 को यथावत रखने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गयी है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विस्तृत व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप समवर्ती निर्णय पारित किये है, सवमर्ती निर्णय व डिक्री में हम इस द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समते है। फलस्वरुप यह द्वतीय अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21—1—2004 एवं उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—10—2003 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य